"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई. दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2012-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 305] रायपुर, बुधवार, दिनांक 17 जुलाई 2013—आषाढ़ 26, शक 1935

छत्तीसगढ़ विधान सभा सचिवालय

रायपुर, बुधवार, दिनांक 17 जुलाई, 2013 (आषाढ़ 26, 1935)

क्रमांक-8847/वि.स./विधान/2013.—छत्तीसगढ़ विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमावली के नियम 64 के उपबंधों के पालन में छत्तीसगढ़ (अधोसंरचना विकास एवं पर्यावरण) उपकर (संशोधन) विधेयक, 2013 (क्रमांक 23 सन् 2013) जो बुधवार, दिनांक 17 जुलाई, 2013 को पुरःस्थापित हुआ है, को जनसाधारण की सूचना के लिये प्रकाशित किया जाता है.

हस्ता./-
(देवेन्द्र वर्मा)
प्रमुख सचिव.

छत्तीसगढ़ विधेयक

(क्रमांक 23 सन् 2013)

छत्तीसगढ़ (अधोसंरचना विकास एवं पर्यावरण) उपकर (संशोधन) विधेयक, 2013

छत्तीसगढ़ (अधोसंरचना विकास एवं पर्यावरण) उपकर अधिनियम, 2005 (क्रमांक 7 सन् 2005) को और संशोधित करने हेतु विधेयक.

भारत गणराज्य के चौंसठवें वर्ष में छत्तीसगढ़ विधान मण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

संक्षिप्त नाम, विस्तार तथा प्रारंभ.

1. (1) यह अधिनियम छत्तीसगढ़ (अधोसंरचना विकास एवं पर्यावरण) उपकर (संशोधन) अधिनियम, 2013 कहलायेगा.

(2) यह राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगा.

अनुसूची-एक का संशोधन.

2. छत्तीसगढ़ (अधोसंरचना विकास एवं पर्यावरण) उपकर अधिनियम, 2005 (क्रमांक 7 सन् 2005), (जो इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम के रूप में विनिर्दिष्ट है) की अनुसूची-एक के कॉलम (2) के सरल क्रमांक 1 में, शब्द "कोयले तथा लौह अयस्क खनि पट्टों के अन्तर्गत आच्छादित भूमि पर" के स्थान पर, शब्द "कोयले, लौह अयस्क, लाईम स्टोन, बाक्साईट तथा डोलोमाईट खनि पट्टों के अन्तर्गत आच्छादित भूमि पर" अन्त:स्थापित किया जाये.

अनुसूची-दो का संशोधन.

3. मूल अधिनियम की अनुसूची-दो के कॉलम (2) के सरल क्रमांक 1 में, शब्द "कोयले तथा लौह अयस्क खनि पट्टों के अन्तर्गत आच्छादित भूमि पर" के स्थान पर, शब्द "कोयले, लौह अयस्क, लाईम स्टोन, बाक्साईट तथा डोलोमाईट खनि पट्टों के अन्तर्गत आच्छादित भूमि पर" अन्त:स्थापित किया जाये.

उद्देश्य और कारणों का कथन

छत्तीसगढ़ (अधोसंरचना विकास एवं पर्यावरण) उपकर अधिनियम, 2005 (क्रमांक 7 सन् 2005) के अधीन राज्य सरकार ने अधोसंरचना विकास परियोजना तथा पर्यावरण के सुधार हेतु परियोजना के लिये भूमि पर उपकर लेने का निर्णय लिया है. अतएव उक्त अधिनियम की अनुसूची-एक तथा दो में संशोधन आवश्यक है.

2. अत: यह विधेयक प्रस्तुत है.

रायपुर
दिनांक 10 जुलाई, 2013

दयालदास बघेल
राजस्व मंत्री
(भारसाधक सदस्य)

"संविधान के अनुच्छेद 207 के अधीन राज्यपाल द्वारा अनुशंसित"

उपाबंध

छत्तीसगढ़ (अधोसंरचना विकास एवं पर्यावरण) उपकर अधिनियम (क्रमांक 7 सन् 2005) की धारा 3 एवं 4 की अनुसूची-एक एवं दो के संबंध में सुसंगत उद्धरण—

अनुसूची-एक
(धारा 3 देखें)

अ. क्र. (1)	भूमि का वर्गीकरण (2)	विकास उपकर की दर (3)
1.	कोयले तथा लौह अयस्क खनि पट्टों के अंतर्गत आच्छादित भूमि पर.	वार्षिक खनिज प्रेषण पर 5 रुपये प्रतिटन

अनुसूची-दो
(धारा 4 देखें)

अ. क्र. (1)	भूमि का वर्गीकरण (2)	पर्यावरण उपकर की दर (3)
1.	कोयले तथा लौह अयस्क खनि पट्टों के अंतर्गत आच्छादित भूमि पर.	वार्षिक खनिज प्रेषण पर 5 रुपये प्रतिटन

देवेन्द्र वर्मा
प्रमुख सचिव,
छत्तीसगढ़ विधान सभा.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2013.